राजस्थान दिवस को उत्सव के रूप में मनाएं : भजनलाल शर्मा

- 'विकसित राजस्थान के लिए प्रतिबद्ध होकर करें कार्य'
- 25 से 31 मार्च तक सप्ताहभर होंगे विभिन्न आयोजन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को उनके निवास पर राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप राज्य सरकार चार जातियों किसान, युवा, महिला एवं गरीब के कल्याण एवं उत्थान एवं आमजन के लिएगुड गवर्नेंस के क्रम में राजस्थान दिवस (30 मार्च, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) वृहद् स्तर पर मना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में उत्साह एवं उमंग के साथ भाग ले और राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए समर्पण एवं सेवा-भाव से कार्य करे।

शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सप्ताहभर चलने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों एवं आगंतुकों की परिवहन, पेयजल एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने राजस्थान दिवस (30 मार्च)के अवसर पर सभी जिलों के सरकारी इमारतों पर साज-सज्जा एवं लाइटिंग करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, देवस्थान विभाग को मंदिरों में आरती कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक यू आर साहू को राजस्थान दिवस आयोजनों के क्रम में प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए राजस्थान दिवस गौरव की अनुभूति है। इस दिवस पर आमजन राजस्थान को विकसित बनाने के लिए सेवा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। उन्होंने कार्मिक विभाग को राजस्थान दिवस पर विकसित राजस्थान के संबंध में शपथ का प्रारूप बनाने के लिए निर्देशित किया। यह शपथ निजी एवं सरकारी संस्थानों के कार्मिकों द्वारा ली जाएगी। साथ ही, मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को राजस्थान दिवस के आयोजनों का प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों द्वारा राजस्थान दिवस देश के अन्य प्रदेशों एवं विदेशों में भी उल्लास से मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का प्रत्युत्तर के दौरान देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 30 मार्च, 1949 (वर्ष प्रतिपदा संवत् 2006) के अवसर पर दिए भाषण का उल्लेख करते हुए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस भारतीय रीति-नीति से मनाएजाने की घोषणा की थी।

बैठक में मुख्यमंत्री को संबंधित अधिकारियों ने राजस्थान दिवस के संबंध में आयोजित होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, 30 मार्च को प्रदेश केप्रत्येक जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों द्वारा माँगनियार प्रस्तुति एवं कत्थक एवं लोक नृत्यों की फ्यूजन प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतिम दिवस 31 मार्च को जयपुर में राईजिंग राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की ग्राउण्ड ब्रेकिंग की जाएगी। साथ ही, लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर एवं टेक्सटाइल पॉलिसी का विमोचन किया जाएगा।

इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यू आर साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी भास्कर ए सावंत, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विवाह सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन

जयपुर। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में 12 मई को आयोजित होगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरधी चन्द शर्मा ने सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में 12 मई को, हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज धर्मशाला श्री सिद्धपीठ बैनाडा धाम, बस्सी जयपुर में आयोजित होने वाले विशाल आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का मुख्यमंत्री निवास पर पोस्टर विमोचन कर विशाल आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन में पधारने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को महासभा को बॉम्बे हॉस्पिटल के पास आवंटित की गई जमीन कन्या छात्रावास हेतु 3467 वर्ग मीटर को निशुल्क या 10 प्रतिशत पर देने हेतु निवेदन किया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्वासन दिया। इस दौरान अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री सीताराम अलियाबाद, पार्षद वार्ड नंबर 125 रामप्रसाद शर्मा रामजीपुरा, युवा विनोद माही कुडाया माधोपुरा मौजूद रहे।

संवाद कार्यक्रम आज

जयपुर। वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर मंगलवार को युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने बताया कि जेएलएन मार्ग स्थित पंचायती राज संस्थान के सभागार में प्रातः 11 बजे से आयोजित युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे।

मुझे गर्व है कि मैं भी एक सैनिक की पुत्री हूं : दिया कुमारी

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सोमवार को मिलिट्री स्टेशन में सप्त शक्ति कमांड द्वारा आयोजित वीर नारी एवं वीरांगना मिलन समारोह में सम्मिलित होकर वीरांगनाओं को सम्मानित किया।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सोमवार को मिलिट्री स्टेशन में सप्त शक्ति कमांड द्वारा आयोजित वीर नारी एवं वीरांगना मिलन समारोह में सम्मिलित होकर देश की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले देश के वीर जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित कर राष्ट्रिहत में उनके त्याग एवं बलिदान को नमन किया। राजस्थान में वीरांगनाओं की समृद्ध विरासत है और यहां 11,443 वीर नारियां है। समारोह में जयपुर, दौसा और अलवर जिलों से 67 वीर नारियों ने भाग लिया। इनके अलावा वीरांगनाएं, भूतपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक और उनके परिवार भी समारोह में शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में उनके अपार बलिदान और निस्वार्थ योगदान को याद करते हुए वीर नारियों को सम्मानित किया।

दिया कुमारी ने अपने संबोधन में निस्वार्थ सेवा, समर्पण और वीरता के लिए सैनिकों और गौरव सेनानियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने वीर नारियों द्वारा अपने परिवारों और समाज के लिए शक्ति का स्तंभ बनने में दिए गए समर्थन और महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। उपमुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और वीर नारियों और गौरव सेनानियों के कल्याण के लिए सप्त शक्ति कमान द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार गौरव सेनानियों, वीर नारियों और वीरांगनाओं के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने के लिए तैयार है।

उन्होंने समाज और राष्ट्र हेतु अमूल्य योगदान के लिए वीर नारियों, वीरांगनाओं और गौरव सेनानियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भी एक सैनिक की पुत्री हूं। दिया कुमारी ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आवा अध्यक्ष मिसेज मनजिंदर सिंह के नेतृत्व में सैनिक परिवारों के कल्याण, बच्चों की शिक्षा, उनके विकास, वीर नारी और विरांगनाओं के सम्मान, सशक्तिकरण के लिए लगातार अनेक कार्यक्रम कर रही है जो कि प्रशंसनीय हैं। आपके द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, शहीद सैनिकों के लिए मोक्षधाम बनाने, सस्ती दरों में केंटीन व्यवस्था, और वीरांगनाओं के रोजगार में आ रही परेशानी को दूर करने, वृद्धाश्रम के लिए प्रयास करने जैसे कार्य किया जाना सराहनीय है।

राजस्थान यूनिवर्सिटी में बाहरी वाहनों की नो एंट्री : राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब बाहरी वाहनों की आवाजाही पर पबन्दी लगाई जा रही है। इनके लिए सुरक्षा के बंदोबस्त किया जा रहा है। दरअसल, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गेट लग रहे हैं। पहले गाड़ी को रजिस्टर करवाना होगा, जैसे ही गाड़ी करीब आएगी वैसे ही स्कैनर से स्कैन होकर गेट स्वतः ही खुल जाएगा, जो गाड़िया रजिस्टर नहीं होगी उनको गार्ड रजिटर में एंट्री करेंगे।

नवसंवत्सर का होगा जोरदार स्वागत

जयपुर। भारतीय संस्कृति के पावन पर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष नवसंवत्सर 2082 प्रारम्भ हो रहा है। इसके स्वागत के लिए 3 दिवसीय नवसंवत्सर उत्सव बड़े ही धूमधाम से जयपुर में आयोजित किया जायेगा।

संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पण्डित सुरेश मिश्रा ने बताया कि 27 मार्च से 31 मार्च तक 5 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम नवसंवत्सर उत्सव के रूप में आयोजित किये जायेगें। जिसमें 26 मार्च को नवसंवत्सर के स्वागत के लिये चार अश्व पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में रवाना होंगे और नवसंवत्सर का अनूठे तरीके से प्रचार करेंगे। भारतीय संस्कृति और नवसंवत्सर का प्रचार करने के लिये यह श्वेत अश्व जयपुर शहर के सभी मंदिरो में जाएंगे। इनका विधिवत पूजन विद्वानों द्वारा वैदिक रीति से किया जायेगा। इस अवसर पर जयपुर के विभिन्न मंदिरों के संत-महंत उपस्थित रहेंगे।

पण्डित मिश्रा ने बताया कि ये चार अश्व ईशान में खोले के हनुमान मंदिर, पूर्व में गलताजी, आग्नेय में गोनेर मंदिर, दक्षिण में सांगा बाबा, नैऋत्य में स्वामी नारायण मंदिर, पश्चिम में हाथोज हनुमानजी, वायव्य में कदम्ब डूंगरी व उत्तर में आमेर काले हनुमान मंदिर तक जाएंगे और नवसंवत्सर का अनूठे तरीके से प्रचार-प्रसार करेगें।

हाईकोर्ट ने एसीएस प्रवीण गुप्ता और सावंत के सिविल कारावास पर रोक लगाई

अदालत ने मामले में अग्रिम कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है

- वाणिज्यिक न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को तीन-तीन माह के सिविल कारावास की सजा दी थी

जयपुर। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता और भास्कर ए सावंत को बड़ी राहत देते हुए वाणिज्यिक न्यायालय के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिसमें दोनों अधिकारियों को तीन-तीन माह के सिविल कारावास की सजा दी गई थी। इसके साथ ही अदालत ने मामले में अग्रिम कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुडे मामले में अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में ही एसएलपी खारिज होने के बाद संबंधित कंपनी को बकाया भुगतान की कार्रवाई शुरू कर दी थी। समान मामले में पूर्व में दायर याचिका में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को भी इसकी जानकारी दी थी। इसके बावजूद भी वाणिज्यिक न्यायालय ने एसीएस प्रवीण गुप्ता को सिविल कारावास देने का आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा पीएचईडी के मामले में आर्बिट्रेटर के आदेश के खिलाफ वाणिज्यिक न्यायालय में स्टे प्रार्थना पत्र पर पूर्व में सुनवाई अधूरी रही थी। उस प्रार्थना पत्र के लंबित रहने के दौरान ही वाणिज्यिक अदालत ने मनमानी पूर्वक अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत को तीन माह का सिविल कारावास का आदेश दे दिया। ऐसे में दोनों आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को दिए सिविल कारावास के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले में अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि नागौर मुकुंदगढ हाईवे प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2020-21 में सडक का निर्माण किया था। जिसके कांट्रेक्ट में प्रावधान था कि तय समय से पहले रोड निर्माण होने पर कंपनी को बोनस दिया जाएगा। तय अवधि से पूर्व निर्माण होने के बाद भी बोनस भुगतान नहीं करने पर मामला आर्बिट्रेटर के समक्ष गया। भुगतान को लेकर आर्बिट्रेटर के आदेश को वाणिज्यिक न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग को राहत नहीं मिली। वहीं कुल करीब 167 करोड रुपए के बकाया भुगतान को लेकर वाणिज्यिक न्यायालय ने विभाग की संपत्तियों की सूची मांगी, ताकि उनको कुर्क कर राशि दिलवाई जा सके। न्यायालय ने मामले में भुगतान को लेकर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव गुप्ता का शपथ पत्र मांगा, जिसके नहीं मिलने पर न्यायालय ने गुप्ता को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश दिए। जबकि दूसरी ओर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पाइपलाइन डालने के प्रोजेक्ट में करीब 31 करोड रुपए का भुगतान नहीं होने के मामले में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत को तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में आर्बिट्रेटर की ओर से एल एंड टी कंपनी के पक्ष में करीब 31 करोड रुपए के भुगतान का आदेश दिया।

विधानसभा के इस सत्र में 24 बैठकों के साथ 181 घंटे 52 मिनट चला सदन

- सोलहवीं विधान सभा का तृतीय सत्र नवाचारों के साथ सम्पन्न : देवनानी
- विधान सभा अध्यक्ष ने आय-व्ययक अनुमान पर एक दिवस अधिक चर्चा
- 2841 लोगों ने देखी सदन की कार्यवाही

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सत्र को सोमवार को सायं 8:26 बजे अनिश्चितकाल के लिए राष्ट्र गान के साथ स्थगित किया। देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा के इस सत्र से सदन को पेपरलेस चलाने की शुरुआत हुई। सदन में आईपैड के साथ सदन को गुलाबी शहर की तर्ज पर गुलाबी रंग के नये कलेवर में तैयार किया गया। देवनानी ने सोलहवीं विधान सभा के सभी सदस्यों का आव्हान किया कि सभी मिलकर राजस्थान विधान सभा को देश की आदर्श विधान सभा बनाने में सक्रिय भूमिका निभायें।

देवनानी ने कहा कि इस सत्र में विधायकों से कुल 9800 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 4480,अतारांकित प्रश्न 5302 एवं अल्प सूचना प्रश्न 18 हैं। कुल 516 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए जिनमें से 288 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये। इसी तरह 576 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। उन्होंने कहा कि विगत सत्र में विधायकों से कुल 8088 प्रश्न प्राप्त हुए थे। जिनमें से तारांकित प्रश्न 3810 एवं अतारांकित प्रश्न 4278 थे। जिनमें से कुल 420 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए 268 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये। इसी तरह 426 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुये थे। देवनानी ने कहा कि सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में प्राप्त कुल 10,049 प्रश्नों में से अब तक 9453 के उत्तर प्राप्त हो चुके है और 596 शेष रहे हैं। 95 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गये है और शेष भी जल्द ही प्राप्त हो जायेंगे। राजस्थान विधान सभा के अभी तक के सत्रों में यह सर्वाधिक है।

देवनानी ने कहा कि नियम 50 के अंतर्गत कुल 231 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से 71 स्थगन प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया तथा 63 विधायकों ने अपने विचार रखे। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि विगल सत्र में प्रक्रिया नियम 50 के अन्तर्गत कुल 194 स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 54 प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया था।

देवनानी ने कहा कि प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत 337 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 293 विशेष उल्लेख की सूचनाएं सदन में पढ़ी गई या पढ़ी हुई मानी गई तथा 92 सूचनाओं के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। विशेष उल्लेख की 40 सूचनाएं विधायकों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण व्यपगत हुई।

देवनानी ने कहा कि विगत सत्र में प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत 280 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 255 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया या पढ़ा हुआ माना गया था तथा 245 सूचनाओं के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी। विशेष उल्लेख की 25 सूचनाएं विधायकों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण व्यपगत हुई थी।

देवनानी ने कहा कि विधायकों द्वारा कुल 767 पर्चियां प्राप्त हुई। जिनमें से शलाका द्वारा कुल 84 पर्चियां चयनित हुई व हुई व संबंधित विधायकों ने अपने विचार सदन के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि विगत सत्र में विधायकों द्वारा कुल 808 पर्चियां प्राप्त हुई। जिनमें से शलाका द्वारा कुल 72 पर्चियां चयनित हुई व संबंधित विधायकों ने अपने विचार सदन के समक्ष रखे।

देवनानी ने कहा कि प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत 811 प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई।

'सहकार से समृद्धि' के तहत देश में हो रहे अभूतपूर्व कार्य : दक

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम) में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत आयोजित महिला सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिये कार्यशाला को सम्बोधित किया।

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक ऐसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनसे महिलाओं का सशक्तीकरण हो रहा है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, उन्हें देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

मंत्री सोमवार को राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम) में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत आयोजित महिला सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भावना के अनुरूप देश में विगत एक दशक से महिलाओं को प्राथमिकता देकर योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मातृ शक्ति के सम्मान के लिए हर घर शौचालय और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। दक ने कहा कि अब हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार सहकारिता क्षेत्र पर विशेष रुप से फोकस कर रही है। वर्ष 2021 में देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनके नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न नवाचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि अभियान के तहत देश में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं और इसमें भी महिलाओं पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बने और विश्वगुरू बनने की ओर अग्रसर हो, इसके लिए सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी।

राइसेम के निदेशक रणजीत सिंह चूण्डावत ने कार्यशाला में राइसेम द्वारा आयोजित की जा रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं।

सहकारिता मंत्री ने कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड

भूदान यज्ञ बोर्ड को भंग करने के आदेश रोक

- राज्य सरकार ने 18 जून, 2024 को राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया था

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 18 जून, 2024 उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को भंग किया गया था। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा और सदस्य भंवरलाल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाओं में अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 11 फरवरी, 2022 को याचिकाकर्ता को भू-दान यज्ञ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था। वहीं 28 सितंबर, 2022 को बोर्ड के दस सदस्यों को नियुक्ति दी गई। याचिका में कहा गया कि उन्हें चार साल के लिए बोर्ड में नियुक्ति दी गई थी। ऐसे में भू-दान यज्ञ बोर्ड अधिनियम, 1954 की धारा 4 में बताई निर्योग्यताओं को छोड़कर उनके कार्यकाल को बीच में समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने बिना किसी आधार 18 जून, 2024 को बोर्ड को भंग कर दिया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से राजनीतिक द्वेषता के चलते बोर्ड को भंग किया है। वहीं इस आदेश से प्रभावित होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। इसके अलावा अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। ऐसे में इस आदेश को अवैध घोषित करते हुए रद्द किया जाए। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बोर्ड भंग करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

मिराज समूह के एमएल पालीवाल को जमानत

- दो हजार करोड रुपए का जीएसटी मामला

जयपुर। जयपुर मेट्रो-द्वितीय की आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम कोर्ट ने दो हजार करोड रुपए की जीएसटी चोरी से जुडे मामले में मिराज समूह के मदनलाल पालीवाल व प्रकाश चन्द्र पुरोहित को सोमवार को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को निर्देश दिया है कि वे अदालत की मंजूरी लिए बिना देश नहीं छोडेंगे और अनुसंधान अधिकारी के बुलाने पर जांच में सहयोग करेंगे।

प्रार्थियों के अधिवक्ता दीपक चौहान के जरिए दायर जमानत प्रार्थना पत्रों में कहा था कि मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उनका कोई भी संबंध नहीं है। इस मामले में उनके खिलाफ कोर्ट ने 3 अगस्त 2024 को प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। इस आदेश को उन्होंने चुनौती दी, लेकिन उनका प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं हाईकोर्ट ने अब उनके गैर जमानती वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया है। इसके साथ हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रार्थी यदि तय समय में ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे।